# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारीः– श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्याः– 3/41/2022 दायर दिनांकः–05/12/202

जीसीएमएस नं0ः– 2022/770 निर्णय दिनांकः–30/10/2025

बउनवान

1. श्यामवीरी पत्नी साहबसिंह जाति जाट निवासी हनीपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।

––––प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

––––अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956**

उपस्थितिः–1.श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.तहसीलदार कठूमर पैरोकार अप्रार्थी

**–ःःनिर्णयःः–**

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 364/395 ग्राम हनीपुर तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी व अन्य साझीदारान की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। राजस्व कर्मचारियो ने उक्त आराजी का नक्शा ट्रैस बनाते समय रकबा 0.44 हैक्ट के अनुसार खेत का नक्शा बहुत छोटा बना दिया है जो क्षैत्रफल के अनुसार काफी छोटा है जबकि उक्त आराजी के तरफ उत्तर में खसरा नम्बर 364 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा है जिसका क्षैत्रफल खसरा नम्बर 364/395, के करीब बरावर है लेकिन खसरा नम्बर 364 के खेत का नक्शा राजस्व कर्मचारीयो ने खसरा नम्बर 364/395 के क्षैत्रफल देखते हुये काफी बडा बना रखा है। राजस्व नक्शा ट्रैस में उक्त आराजी का क्षैत्रफल के अनुसार नक्शा छोंटा होने से प्रार्थीया के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत नक्शा की वजह से प्रार्थीया अपने हिस्सा की आराजी हो ना तो बैक में रहन रखकर फसल ऋण ले पा रही

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

है और ना इसको रहन वय कर सकती है। हाल नक्शा ट्रैस में बना नक्शा उक्त आराजी के क्षेत्रफल के अनुसार न होकर क्षेत्रफल के अनुसार काफी छोटा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 364 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम हनीपुर खेत का नक्शा ट्रैस में क्षेत्रफल के अनुसार काफी बडा है जिस नक्शा को प्रार्थीया क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनाक 05.07.2025 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम हनीपुर, नकल पैमाना, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रैस नकल फोटो प्रति बैयनामा पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व कर्मचारियो ने उक्त आराजी का नक्शा ट्रैस बनाते समय रकबा 0.44 हैक्ट के अनुसार खेत का नक्शा बहुत छोटा बना दिया है जो क्षेत्रफल के अनुसार काफी छोटा है जबकि उक्त आराजी के तरफ उत्तर में खसरा नम्बर 364 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा है जिसका क्षेत्रफल खसरा नम्बर 364/395, के करीब बरावर है लेकिन खसरा नम्बर 364 के खेत का नक्शा राजस्व कर्मचारीयो ने खसरा नम्बर 364/395 के क्षेत्रफल देखते हुये काफी बडा बना रखा है। राजस्व नक्शा ट्रैस में उक्त आराजी का क्षेत्रफल के अनुसार नक्शा छोंटा होने से प्रार्थीया के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत नक्शा की वजह से प्रार्थीया अपने हिस्सा की आराजी हो ना तो बैक में रहन रखकर फसल ऋण ले पा रही है और ना इसको रहन वय कर सकती है। हाल नक्शा ट्रैस में बना नक्शा उक्त आराजी के क्षेत्रफल के अनुसार न होकर क्षेत्रफल के अनुसार काफी छोटा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 364 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम हनीपुर खेत का नक्शा ट्रैस में क्षेत्रफल के अनुसार काफी बडा है जिस नक्शा को प्रार्थीया क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का राजस्व कर्मचारीयो से नक्शा ट्रैस मे अशुद्व हुई है जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

# —::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 364 रकबा 0.44 हैक्ट0 ग्राम हनीपुर तहसील कठूमर पर प्रार्थीया के नक्शा ट्रैस में क्षैत्रफल के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार नक्शा ट्रैस में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ मिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.